न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– **रमेश देव (आर.ए.एस.)**
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक
नम्बर मुकदमा – 236 / 2023

निर्णय दिनांकः– 15.6.2023

1 गुरप्रीत सिह पुत्र सन्ता सिह जाति जटसिख सा. हरीपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 हरप्रीत सिह पुत्र सन्ता सिह जाति जटसिख सा. हरीपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 सन्ता सिह पुत्र किशन सिह जाति जटसिख सा. हरीपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

– प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री कैलास सिवल– अधिवक्ता वादीगण
श्री हरबन्स सिह – अधिवक्ता प्रति स. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि प्रति स. 1 के नाम चक 2 एच. आर.पी. के खाता स. 114 / 97 खाता सन्ता सिह ज.स. 2073–76 में 1.5740 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त आाजी वादीगण व प्रति स. 1 की विरास्तन आराजी है। प्रति स. 1 वादीगण का पिता है।उक्त आराजी पर वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीगण एव प्रति स. 1 ने घरू बंटवारा कर लिया है। घरू बंटवारा में वादीगण को दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी ब.हि.ब. प्राप्त हुई है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। प्रति स. 1 ने अपने हिस्सा की आराजी चक 1 एस.टी.पी. के खाता स. 114 / 13 ज.स. 2070–73 में प्राप्त कर ली है। वादीगण व प्रति स. 1 मौका पर काबिज है। कब्जाकाशत बाबत कोई विवाद नही है।लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रति स. 1 से कई दफा निवेदन किया कि वे दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी दावा की दफा 5 के अनुसार वादीगण के नाम ब.हि.ब. दर्ज करवा देवें तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त में वे वादीगण के उक्त निवेदन से स्पष्ट इंकारी हेा गये। बस यही वाद कारण है। अतः वादीगण को चक 2 एच.आर.पी. के खाता स. 114 / 97 खाता सन्ता सिह ज.स. 2073–76 में 1.5740 है0 आराजी के ब.हि.ब. खातेदार कांश्तकार घोषित किया जाकर प्रति स. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावे।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल नगराना

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीमेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 2 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी स. 1 गुरप्रीत सिह का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी. सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 2 एच.आर.पी. के खाता स. 114/97 खाता सन्ता सिह ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादीगण के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण को चक 2 एच.आर.पी. के खाता स. 114/97 खाता सन्ता सिह ज.स. 2073–76 में 1.5740 है0 आराजी के ब.हि.ब. खातेदार कांश्तकार घोषित किया जाकर प्रति स. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावे।

निज.......X........ मुब्लिक.......X........ बाबत.......X........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....X........ को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 15.6.2023 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं 2023
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया नगराना

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1 गुरप्रीत सिह पुत्र सन्ता सिह जाति जटसिख सा. हरीपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 हरप्रीत सिह पुत्र सन्ता सिह जाति जटसिख सा. हरीपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 सन्ता सिह पुत्र किशन सिह जाति जटसिख सा. हरीपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

– प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री कैलास सिवल– अधिवक्ता वादीगण
श्री हरबन्स सिह – अधिवक्ता प्रति स. 1

मु. स . 236/2023 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलास सिवल एड. वादीगण व श्री हरबन्स सिह एड. प्रति स. 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण को चक 2 एच.आर.पी. के खाता स. 114/97 खाता सन्ता सिह ज.स. 2073–76 में 1.5740 है0 आराजी के ब.हि.ब. खातेदार कांश्तकार घोषित किया जाकर प्रति स. 1 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावे।

निज......X...... मुब्लिक......X...... बाबत......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....X.... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 15.6.2023 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official